

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम  
 मुं नं 90/14 तारीख रजु 10.11.14  
 उगवान-हरिमोहन बनाम सुआलाल नै  
 दावा बाबत इस्तकार हक एवं स्याधी  
 निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुखचन्द जामा A-1  
 ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्याधी  
 निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजों का  
 अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर  
 कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब  
 दिनांक 18.12.14 को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)

2777-79  
 12.11.14

8/12/14 वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं० 1 के समान  
 की लामील पुत्रपुत्र हो हो चुकी थी प्रतिवादी  
 नं० 1 उपस्थित नहीं थी प्रतिवादी नं० 2,3  
 का समान बाद लामील प्रबन्धी थी  
 प०. सा. उतावसी मीटिंग में करौली पधारे हैं।  
 वास्ते इतिहास आदेश दि. 23.1.15 को पेश हो।

1/15 वकूलाय उपस्थित पीठासन अधिकारी...  
 है। गतानुसार दिनांक 13.3.15 को पेश हो।

3/15 ~~कृष्ण~~ वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं० 1  
 के विकरुड एवं पक्षीप कार्यवाही के आदेश  
 दिये जाते हैं। प्रतिवादी नं० 2 व 3 के समान  
 पुनः पेश की वास्ते तलबी दि० 15.4.15 को पेश हो।

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

## फर्द अहकाम

20.3.17 पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य रयगन रखा गया है। गताबुसार दिनांक 22.3.17 को पेश हो।

22.3.17 वादी वकील उप. साक्ष्य पेश करने पुना एक गौरा गौरा चार्ज पेश किया गया दिनांक 22.3.17 इतिहास गौरा साक्ष्य वादी को करने की दिनांक की। दिनांक 28.3.17 को पेश हो।

28.3.17

वादी वकील उपस्थित। वादी वकील ने प्रथम क्रिया कि प्रकरण को वादीगण भागे पलारा नहीं चाहते थे इसलिए यह दावा Not Press में खाशिय कर दिया जो वादी वकील के Not Press करने से यह दावा Not Press में खाशिय किया जाता है पत्रावली पेश ल शुमार होकर जम्हा से कर होकर दाखिल दफतर हो।

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करोली)

Not Press  
28.3.17